

फॉर्म अहकाम

दिनांक: 01/05/25  
 वनाय: 01/05/25  
 पृष्ठ संख्या: 1/20

दिनांक: 25/4/24  
 आका विस्तृत रूप में

प्राप्त की प्रतीति है कि वकील उमरपशो  
 09 R13 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराने वाले प्राची/प्रतिवादी सं. 2 को दोहराने वाले प्राची/प्रतिवादी सं. 1 का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।  
 दिनांक 01/05/25 को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी  
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

01/05/25

वकील उमरपशो उमरपशो  
 प्राची/प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी कसमें में प्रमाण  
 09 R13 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराने वाले प्राची/प्रतिवादी सं. 1 का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।  
 कि वेदक किता है वकील प्राची/वादी सं.  
 1 का 07 ने अपनी कसमें में वादग्रस्त आराधी  
 कुल किला 19 कुल रकबा 3.99 है 0 के प्रतिवादी सं. 1  
 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी व प्रतिवादी  
 सं. 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी व प्रतिवादी सं. 1 के  
 अंकित-किया है कि वतक में प्रतिवादी सं. 1 के  
 नाम जो भूखंड 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसके 8  
 हिस्से वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के मध्य  
 1/32-1/32 किसे भाग लहरा-नम्बर 4774 जो मध्य  
 से युक्त है 34त लहरा-नम्बर को दोहराने वाले प्राची/प्रतिवादी  
 वकारों का अनुसंध भी वादग्रस्त किता भाग वादग्रस्त  
 आराधी कुल किला 19 कुल रकबा 3.99 है वादग्रस्त  
 सांगानेर तहसील सांगानेर में प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा  
 1/4 में से वादी का हिस्सा 1/32 व प्रतिवादी सं. 1  
 1 लगायत 7 का प्रत्येक का हिस्सा 1/32 राजस्व रिकार्ड  
 में अंकित को के आदेश व डिक्री दि. 23/9/2019 को  
 दिखे गये जो विधि सम्मत है अतः प्राची/प्रतिवादी  
 सं. 2 का प्रमाण 09 R13 CPC स्वीकृत योग्य है वकील  
 व राजस्व रिकार्ड, निर्णय व डिक्री दि. 23/9/2019 व  
 प्रमाण 09 R13 CPC का अन्वयण करे व वकील  
 उमरपशो की कसमें का मन्तव्य व पार 1 म रस निष्कर्ष  
 पड़े है कि वादग्रस्त आराधी प्रतिवादी सं. 1 के नाम  
 राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड थी वादी व प्रतिवादी सं. 1  
 मध्य दोहराने वाले प्राची/प्रतिवादी सं. 2 को हिस्सा 1/32  
 दिया जो विधि सम्मत है वही न्यायालय द्वारा जारी  
 निर्णय व डिक्री दि. 23/9/2019 विधि सम्मत पाठ्य किता  
 है अतः प्राची का प्रमाण 09 R13 CPC स्वीकृत योग्य  
 जाता है वकील प्राची/प्रतिवादी सं. 1 का प्रमाण  
 वादग्रस्त वतक को युक्त योग्य।

उपखण्ड अधिकारी  
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वकील उमरपशो उमरपशो  
 09 R13 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराने वाले प्राची/प्रतिवादी सं. 2 को दोहराने वाले प्राची/प्रतिवादी सं. 1 का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।  
 दिनांक 01/05/25 को प्राप्त है।  
 अधिकारी  
 (सांगानेर)  
 सांगानेर  
 सांगानेर  
 सांगानेर